

**कार्यालय  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

--कार्यालय ड्राफ्ट--

अखिल भारतीय लक्ष्मीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपर्युक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद 30प्र0 सम्बद्धता से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठका सम्पन्न हुई। बैठका में सत्र 2019-20 हेतु आमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्र-18 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण उठाया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया :-

“समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि ऐसी स्वस्थापित निम्न डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 एवं पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्थाओं परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश अमरा हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2003	जी कोलोन और फार्मसी जसरा नं० 313, 314, 315, गणेशगंजा, दिल्ली	डिप्लोमा इन फार्मसी	00	10

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (तीन वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रु०- 22,500.00 शुल्क की दरसेक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उक्त शर्तों के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेशों प्रभावी होंगे और इन्हेनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निरीक्षण समिति द्वारा सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (अथवा प्राथमिक) शिक्षा समितीको तथा नया समितीको, संस्थाको जो सम्बद्ध विद्यालय) विनियमावली-2009 को) शर्तों को अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित एचसी को भी प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के रिक्त स्थानों को स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही पूर्ण की जायेंगी।
- ✓ संस्था जो समस्त संस्था पर निर्भर शासनादेशों के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता जुटावना होगा।
- ✓ संस्था जो एम्प्लॉयी/पीएचडी को अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट तम विधि/विधियों/अभियोग/शासनयुक्त/निर्देशों एवं निर्देशों प्राथमिक शिक्षा अथवा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद अथवा अन्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्य द्वारा बनाये गये विधियों, विधियों, अथवा निर्देशों पर प्रत्यक्ष करने के विनये बाध्य होगी।
- ✓ क्विलीफा इन फार्मसी परीक्षाओं को संस्थाएं नहीं के जो, उन्हें नई विज्ञानों में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है। जो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व लेना का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, को संस्थाएं बाध्य किया जाता है, तथा शासन द्वारा जो संस्था ने या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्थाओं को करनी होगी।
- ✓ क्विलीफा इन फार्मसी परीक्षाओं को सफल करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्दिष्ट प्रदान होने में पूर्ण पीएचडी/आईएच में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कमालय को उपलब्ध करना होगा (संस्थाओं को प्रवेश परीक्षा को माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोदन नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्भर नवीनतम आवेदन विधियों को अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को समस्त सूचनाएं देने संस्था को ऐतिहासिक प्रतिभूति, स्टाफ, ताज-सफाई उपकरण प्राप्त किया जाने जहाँ जहाँ शून्य, प्रत्यक्ष रूप से ही लिए बाध्य कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक उपलब्ध करने के साथ-साथ, रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो, जो कि संस्था 9 प्रतिशत/तंगतित परीक्षाओं को अंशों में हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये, अधिलेख, भूमि-भवन, कर्तव्य, उपकरण, इत्यादि का यदि अंशों द्वारा किसी अन्य परीक्षाओं के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बद्धता असाधन सिद्धे जाने की अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों को अनुपालन न किने जाये, अथवा शर्तों को प्रत्यक्ष किसी शर्तों की स्थिति में विद्यालय/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पूरा सं- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2018/1133-2252

तद दिनांक: 15-5-2018

प्रतिलिपि- प्रशासनाध्यक्ष/निदेशक, जी. सी. सेक्टर ऑफ फार्मसी, अफसा नं. 313, 314, 315, गढ़नखेडा, अफसा।

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कालेजियल अफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को उत्तम, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की सहकारिता में परिसर कार्यालय में बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सांघात नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्राप्तिक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बंदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी प्राप्तांकन संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

'निजी क्षेत्र में स्थापित किलोंका इन फार्मसी प्राप्तांकन संचालित करने वाली संस्थाएँ जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें सम्बद्ध अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम को सम्पूर्ण अधिक प्राप्तांकन/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदात अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।'

दिनांक 14-09-2020 को आहत सम्बद्धता समिति को बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्तांकन एवं प्रवेश क्षमता प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	प्राप्तांकन का प्रा. क्र.	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	डी जॉर्जिक बॉक फार्मसी, बंगला पो. 315, 314, 316, गायनवाडी, लखनऊ।		विशाला इन्ड फार्मसी	00	00

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः मानने करेगी।
- ✓ संस्था उत्तम प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1982 सेक्टर विनियमसूची-2016 तथा अन्य विनियम निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीव्र 08% इन्टीय प्राप्तांकन हेतु रु. 20,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी प्राप्तांकन हेतु रु. 46,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वार्षिक प्राप्तांकन (दो वार्षिक फार्मसी प्राप्तांकन के अतिरिक्त) हेतु रु. 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क को प्रारंभिक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। समीक्षा के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आसम इष्ट निर्दिष्ट किये जाने वाले आचार्यदेस प्रशासकीय बोर्ड, और तदनुसार कार्यवाही किया



काम आसक्तक होगा। सौम्य निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु कोर्स का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो कोर्स की शीर्षकन उसे लागू होगी।

- ✓ सभा को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमधारा-20(1) की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सभा में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदनित चर्चों को ही प्रवेश दिया जावेगा। शीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ सभा को सभा-समय पर निर्गत प्रस्तावों के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता युक्त जमा करना होगा।
- ✓ सभा को एजुकाइंगोरोगेटोरी/पोस्टोअडवेंस से आगामी सत्र हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ सभा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नये विधि/निर्णय/अभिलेख/संशुद्धियाँ/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, व्यापक द्वारा बनाये गये नियमों नियमना आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों पर आधारित ही सत्यापन यदि भी सी.आई. को दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने से अज्ञात होती है तो इन शर्तों में सत्यापन उपस्थित प्रस्ताव का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सभा स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात बताने के लिए बाध्य है तथा कार्य के संबंध में या आगामी सत्र की किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी निर्णय किया जाता है तो उत्तर प्रदेश निर्देशक को सूचित करना जो पालनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों पर आधारित सत्यापित करने वाली शर्तों को सत्य प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए प्राविधिक प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त होने से पूर्व पोस्टोअडवेंस से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने होगा जलवा कई प्रवेश की (कार्यनिर्देश) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रदान को जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ सभा को अपने वेबसाइट पर सभा की सत्यापन सूचनाएं और सभा की प्राविधिक बुकिंग, सभा-सूचना, सभा-सूचना, प्राप्त किया जाने सत्य युक्त, सत्यापन युक्त आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ सभा को शिक्षा-प्रदान हेतु अनुसूचित सत्यापन उपलब्ध कराते के सभा निर्देश करने के माध्यम से सभा को आवश्यक जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सभा को निर्देशक को ले कि सभा में प्रस्तावित/संचालित, प्राविधिक को पालने जाने हेतु निर्देशक समिति के सभा समर्थन के लिए एवं अतिरिक्त, बुकिंग-सभा, शर्तों, उपलब्ध इत्यादि को यदि सभा द्वारा किसी भी प्राविधिक के सत्यापन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि सभा उपरोक्त का प्रथम किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सत्यापन सभा की सम्बद्धता बनाए रखे जाने को अनुसूचित की जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता जारी का अनुसूचित न किया जाने सभा द्वारा का उत्तरदायित्व किया जाने की स्थिति में निर्देशक द्वारा अनुसूचित सत्यापन कार्यवाही की जावेगी।

 (श्री. अरुणो मिश्र)  
सचिव

पुं० सं०- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद् दिनांक: 16-08-2020

प्राविधिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, जी कॉलेज, सी.आई. कार्मिसी, खजुरा नं० 313, 314, 315, गान्धी नगर, जलवा।

 (श्री. अरुणो मिश्र)  
सचिव



**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ:  
दिनांक:  
09/08/2021

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक-09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्दी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2003-ZEE COLLEGE OF PHARMACY KHASRA NO-313,314,315,GADANKHERA,UNNAO-209801

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उच्च प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरणों का अनुसंधान करने में आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त ज्ञातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/ परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार  
सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिष्ठान:-

प्रधानाचार्य/निदेशक ZEE COLLEGE OF PHARMACY KHASRA NO-313,314,315, GADANKHERA, UNNAO-209801

दिनांक:  
09/08/2021

  
(सुनील कुमार  
सोनकर)

सचिव